प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.11.2026

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 14.11.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर हिन्द नगर जंगल के किनारे से अवैध गांजा बेचने वाला 01 अभियुक्त नाम हर्ष पुत्र नेपाल निवासी म0नं0 307 दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि साहब मैं अवैध गांजा कम दामों पर लाकर उचित दामों पर राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूं जिससे मैं अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। अवैध गांजा कहां से लाता है इसके बारें में अभियुक्त ने कुछ नहीं बताया।

नाम पता अभियुक्त:-

1. हर्ष पुत्र नेपाल निवासी म0नं0 307 दौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0- 328/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0- 328/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0- 434/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0- 431/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0- 878/2021 धारा 411/414 भादवि थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0- 877/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0- 1087/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0- 1083/2021 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
9. मु0अ0सं0- 551/2023 धारा 380/411 भादवि थाना विसरख गौतमबुद्धनगर
10. मु0अ0सं0- 217/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना विसरख गौतमबुद्धनगर
11. मु0अ0सं0- 324/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:-

1. 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 14.11.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त आसिफ पुत्र मिन्ना निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम खडखडी थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से जनपद बागपत से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी । उक्त बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में थाना बडौत जनपद बागपत मे चोरी के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने थाना बडौत जनपद बागपत से चोरी की थी। मैं मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम दामों में बेच देता हूँ और पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ। मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आसिफ पुत्र मिन्ना निवासी अशोक विहार थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम खडखडी थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 14.11.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त अमन वर्मा पुत्र प्रदीप वर्मा को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से थाना क्षेत्र शाहदरा (दिल्ली) से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद की गयी। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में थाना शाहदरा(दिल्ली) पर चोरी के संबंध में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने करीब 01 महीने पहले शाहदरा दिल्ली से चोरी की थी। मैं मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम दामो में दिल्ली में बेच देता हूँ, जो पैसे मिलते है उन पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ। आज मै इस चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमन वर्मा पुत्र प्रदीप वर्मा निवासी सादतपुर एक्सटेशन करावल नगर गोकुलपुरी दिल्ली, उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है पूर्व में थाना शाहदरा (दिल्ली) में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

दिनांक 14.11.2026 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त गौरव अम्बावत पुत्र भिखारी निवासी गिरि मार्केट लोनी व अन्य अज्ञात द्वारा शिवेन हास्पीटल में इलाज कराने आये वादी के परिजनों पर जान से मारने की नियत से फायर करना व गाडी की तोडफोड करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/109(1)/125/324(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. गौरव उर्फ राघव पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 2. विपिन शर्मा उर्फ आशु पुत्र छतरपाल शर्मा निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष 3. जितेन्द्र खारी उर्फ जीतू पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम खानपुर जग्गी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष 4. शिवम पुत्र विजेन्द्र निवासी गिरि मार्केट लोनी, उम्र करीब 25 वर्ष व अन्य की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 15.11.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित व प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र खारी उर्फ जीतू पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम खानपुर जग्गी रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष 2. गौरव अम्बावत पुत्र भिखारी सिंह निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष 3. गौरव उर्फ राघव पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 4. विपिन शर्मा उर्फ आशु पुत्र छतरपाल शर्मा निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त जितेन्द्र खारी उपरोक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त जितेन्द्र खारी उर्फ जीतू उपरोक्त ने बताया कि हमारा वादी के पुत्र के साथ आपसी बातों को लेकर विवाद चल रहा था। हमे जानकारी मिली की वादी अपनी पत्नी का इलाज कराने शिवेन हास्पिटल लोनी गाजियाबाद आया है तो मैंने अपने साथियों 1. गौरव उर्फ राघव पुत्र लक्ष्मी 2. विपिन शर्मा उर्फ आशु पुत्र छतरपाल शर्मा 3. शिवम पुत्र विजेन्द्र व अन्य साथियों के साथ शिवेन हास्पिटल पहुँचे वहाँ वादी को देखकर मैंने वादी पर जान से मारने की नियत से पिस्टल से दो फायर कर दिये थे जिससे वादी व उसका साथी मेरे फायर से बच गये व मौका पाकर अस्पताल के पीछे से भाग गये तो मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अस्पताल परिसर में व अस्पताल के

बाहर खडी गाडी जिससे वादी अस्पताल में आया था उस गाडी पर ईट व पत्थर से तोड-फोड कर दी थी। शोर-शराबा सुनकर जब वहां भीड इकट्ठा होने लगी तो हम लोग वहाँ से भाग गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1.जितेन्द्र खारी उर्फ जीतू पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम खानपुर जप्ती रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

2. गौरव अम्बावत पुत्र भिखारी सिंह निवासी गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

3. गौरव उर्फ राघव पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

4. विपिन शर्मा उर्फ आशु पुत्र छतरपाल शर्मा निवासी गिरि मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

आज दिनांक 15.11.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 14.11.2026 को वादी डी ब्लॉक में नाली के किनारे पेशाब कर रहा था तो अनिल कुमार पांचाल द्वारा पेशाब करने से रोकना तथा मारपीट करना जिसके बाद वादी, वादी की बहन व अमित पुत्र राजू, अभियुक्तगण के घर डी ब्लॉक इन्द्रापुरी पर शिकायत करने पहुचे तो अभियुक्तगण 1.अनिल कुमार पांचाल 2.मोहित कुमार 3. शुभम 4. अक्षय 5. विक्रांत पांचाल 6. प्रशांत पांचाल उर्फ बाबा पुत्र अनिल कुमार पांचाल व एक बाल अपचारी द्वारा एक राय होकर अभियुक्त प्रशान्त पांचाल उर्फ बाबा द्वारा अवैध पिस्टल से जान से मारने की नीयत से फायर करना जिससे वादी की बहन को गोली लग जाना, जिससे वादी की बहन की मृत्यु हो जाना व वादी का गम्भीर रूप से घायल हो जाना। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 191(2)/191(3)190/115(2)/61(2)/125(बी)/103(2) बीएनएस व 3(2)V एससी एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित 05 अभियुक्तगण 1. मोहित कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी गाँव गुराणा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 34 वर्ष 2. शुभम पुत्र विनोद कुमार निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 3. अक्षय पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी गाँव गुराणा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 24 वर्ष 4. अनिल कुमार पांचाल पुत्र रामानन्द निवासी इन्द्रापुरी नियर मूवी मैजिक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 53 वर्ष 5. विक्रान्त पांचाल पुत्र सुभाष पांचाल निवासी डी ब्लॉक इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त अनिल कुमार पांचाल ने बताया कि दिनांक 14.11.2026 को वादी हमारे घर के सामने पेशाब कर रहा था तो हमने इसे पेशाब करने से मना किया किन्तु यह नही माना जब हम घर से बाहर आये तो ये भाग गया तो हम सभी लोग इसके पीछे गये और इसको समझाने का प्रयास किया परंतु यह नही माना

तो वहां कहा सुनी व मारपीट हो गयी फिर हम वहां से अपने घर आ गये कुछ ही समय बाद वादी व उसकी बहन हमारे घर के बाहर आ गये और हम लोगों के बीच कहासुनी होने लगी तो मेरे पुत्र प्रशांत पांचाल उर्फ़ बाबा ने पिस्टल से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जिससे गोली वादी की बहन को लग गयी तथा फिर हम सब लोगों ने ईंट पत्थर फेंके जिससे वादी के सिर में भी चोट आयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. मोहित कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी गाँव गुराणा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 34 वर्ष।

2. शुभम पुत्र विनोद कुमार निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

3. अक्षय पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी गाँव गुराणा थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 24 वर्ष

4. अनिल कुमार पांचाल पुत्र रामानन्द निवासी इन्द्रापुरी नियर मूवी मैजिक थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 53 वर्ष।

5. विक्रान्त पांचाल पुत्र सुभाष पांचाल निवासी डी ब्लॉक इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

वांछित अभियुक्त-

प्रशांत पांचाल उर्फ बाबा निवासी डी ब्लाक इन्द्रापुरी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।